

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुकाम करौली
जम्बो फिनवेस्ट (इंडिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय-102, कंचन अपार्टमेण्ट, एल.बी.एस.
कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह
- प्रार्थी

बनाम

- नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री हनुमान सहाय पता:- बैठक वाले हनुमान मंदिर के सामने,
भायलापुरा, हिण्डौन, जिला करौली राज.- 322230
अन्य पता-134, बालाजी मार्केट, बरगमा रोड, हिण्डौन, जिला करौली राज. 322230-ऋणी
- द्रोपदी पत्नि श्री हनुमान पता-134, बालाजी मार्केट, बरगमा रोड, हिण्डौन, जिला करौली
राज. 322230 - सहऋणी
- प्रवीण अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान सहाय पता:- बैठक वाले हनुमान मंदिर के सामने,
भायलापुरा, हिण्डौन, जिला करौली राज.- 322230
अन्य पता- 134, बालाजी मार्केट, बरगमा रोड, हिण्डौन, जिला करौली राज. 322230
- सहऋणी
- मुकेश कुमार गोयल पुत्र श्री गोपाल लाल गोयल, पता-डम्प रोड, कटरा बाजार, हिण्डौन
सिटी, हिण्डौन, जिला करौली राज. 322230 - जमानती

मु.नं.-01/2022

कि.मु.-अंतर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट 2002

ता.रजु-05.01.2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी है
05.01. 2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री बृजेश कुमार गौड़, एडवोकेट द्वारा The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी एवं सहऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ऋणी एवं सहऋणी ने दिनांक 15.03.2019 को प्रार्थी बैंक से राशि 18,50,000.00 रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में ऋणी एवं सहऋणी ने सहऋणी के नाम की नगर परिषद, हिण्डौन सिटी द्वारा जारी पट्टा संख्या 179 जारी दिनांक 04.02.2013 जो उप पंजीयक हिण्डौनसिटी कार्यालय में पंजीकृत है एवं भायलापुरा, हिण्डौन सिटी जिला करौली में स्थित है, जिसके हदूद अरबा इस प्रकार हैं- पूर्व-गली, मानसिंह का मकान, पश्चिम-रोड, उत्तर- हनुमान जी का मंदिर, दक्षिण-राधे एवं बबलू का मकान स्थित है, जिनमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण/ऋणी के खातों को दिनांक 15.07.2019 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 23.08.2019 तक कुल राशि 21,05,313.00 (इक्कीस लाख पांच हजार तीन सौ तेरह रुपये मात्र) रुपये व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्च, लागत इत्यादि ऋणी एवं सहऋणी पर बकाया निकलता है जिसको ऋणी एवं सहऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 24.08.2019 को ऋणी एवं सहऋणी को बकाया ऋण की अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करे किन्तु ऋणी एवं सहऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण	


जिला कलक्टर
करौली

सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ऋणी एवं सहऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 15.07.2019 को व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित किया गया है। ऋणी एवं सहऋणी के विरुद्ध दिनांक 23.08.2019 तक कुल राशि 21,05,313.00 (इक्कीस लाख पांच हजार तीन सौ तेरह रुपये मात्र) रुपये व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्चे, लागत इत्यादि ऋणी एवं सहऋणी पर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के लिये ऋणी एवं सहऋणी जिम्मेदार हैं। ऋणी एवं सहऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिप्रेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान ऋणी एवं सहऋणी द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु ऋणी एवं सहऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत अचल सम्पत्ति सहऋणी के नाम की नगर परिषद, हिण्डौन सिटी द्वारा जारी पट्टा संख्या 179 जारी दिनांक 04.02.2013 जो उप पंजीयक हिण्डौनसिटी कार्यालय में पंजीकृत है एवं भायलापुरा, हिण्डौन सिटी जिला करौली में स्थित है, जिसके हद्द अरबा इस प्रकार हैं— पूर्व—गली, मानसिंह का मकान, पश्चिम—रोड, उत्तर— हनुमान जी का मंदिर, दक्षिण—राधे एवं बबलू का मकान स्थित है, जिनमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो भी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक करौली को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, करौली से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार हिण्डौनसिटी को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक करौली व तहसीलदार हिण्डौनसिटी को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत ऋणी एवं सहऋणी को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति ऋणी एवं सहऋणी को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में ऋणी एवं सहऋणी को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
करौली